

## उच्च न्यायालय ने पुलिस थानों में ऑडियो के साथ CCTV अनिवार्य किया चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस थानों के सभी कमरों में **CCTV** लगाना अनिवार्य कर दिया है।

### प्रमुख बिंदु

- **CCTV स्थापना के लिये निर्देश**
  - मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्त जी.एस. अहलूवालिया ने राज्य पुलिस को तीन महीने के भीतर राज्य भर के पुलिस थानों के प्रत्येक कमरे में ऑडियो के साथ **CCTV कैमरे** लगाने का निर्देश दिया।
  - पुलिस महानिदेशक (DGP) को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि पुलिस स्टेशनों में कोई "ब्लैक स्पॉट" (CCTV द्वारा कवर न किये गए क्षेत्र) न हों। इसका पालन न करने पर न्यायालय की अवमानना का आरोप लग सकता है।
- **हरिसत में हिसा से संबंधित आँकड़े:**
  - **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2001 से वर्ष 2018 के बीच भारत में **हरिसत में हिसा** के 1,727 मामले दर्ज होने के बावजूद केवल 26 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया।
  - वर्ष 2018 में हुई 70 मौतों में से केवल 4.3% मौतें पुलिस द्वारा हरिसत के दौरान शारीरिक हमले के कारण हुई चोटों के कारण हुईं।
  - हरिसत में मौतों के अलावा, वर्ष 2000 से वर्ष 2018 के बीच पुलिस के खिलाफ 2,000 से अधिक **मानवाधिकार उल्लंघन के मामले** भी दर्ज किये गए और उन मामलों में केवल 344 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया।

### राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)

- **NCRB की स्थापना वर्ष 1986 में गृह मंत्रालय के तहत अपराध और अपराधियों पर सूचना के भंडार के रूप में कार्य करने के लिये की गई थी,** ताकि जाँचकर्ताओं को अपराध को अपराधियों से जोड़ने में सहायता मिल सके।
- इसका मुख्यालय **नई दिल्ली** में है।
- इसकी स्थापना **राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981)** और **गृह मंत्रालय के टास्कफोर्स (1985)** की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
- इसका गठन **समन्वय एवं पुलिस कम्प्यूटर नदिशालय (DCPC), CBI की अंतर-राज्यीय अपराधिक डेटा शाखा, CBI के सेंटरल फगिर प्रटि ब्यूरो और BPR&D की सांख्यिकी शाखा** को मिलाकर किया गया था।
- NCRB 'भारत में अपराध' रिपोर्ट के माध्यम से देश भर में अपराध के वार्षिक व्यापक आँकड़े प्रस्तुत करता है।
  - **वर्ष 1953 से प्रकाशित** हो रही यह रिपोर्ट देश भर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को समझने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है।